

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी,
जनपद-प्रतापगढ़।

पत्रांक:-एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./सहयोगात्मक पर्यवेक्षण/प्रतापगढ़/2019-20/9197 दिनांक 06.02.2020
विषय:- राज्य स्तरीय दल द्वारा 22-24 जनवरी 2020 तक किये गये पर्यवेक्षण की आख्या पर कार्यवाही
किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया एस0पी0एम0यू0 कार्यालय पत्र सं0 SPMU/NHM/M&E/2019-20/18/3883-2, दिनांक 30-07-2019 का का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके क्रम में, राज्य स्तरीय दल द्वारा दिनांक 22-24 जनवरी 2020 के मध्य जनपद प्रतापगढ़ की चिकित्सा इकाईयों का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया गया। राज्य स्तरीय दल द्वारा जनपद की चिकित्सा इकाईयों का स्थलीय पर्यवेक्षण के दौरान प्रकाश में आये बिन्दुओं के आधार भ्रमण आख्या प्रस्तुत की गयी है जो कि पत्र के साथ संलग्न कर सुधारात्मक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

आपसे अनुरोध है कि सम्बन्धित बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-पर्यवेक्षण आख्या

भवदीया

(जसजीत कौर)

अपर मिशन निदेशक

पत्रांक:-एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./सहयोगात्मक पर्यवेक्षण/प्रतापगढ़/2019-20/

तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित-

1. मण्डलीय अपर निदेशक, चि0स्वा0 एवं प0क0, प्रयागराज मण्डल को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे भ्रमण के दौरान पायी गयी कमियों का निराकरण करा कर चिकित्सा स्वास्थ्य इकाईयों के भ्रमण आख्यानुसार आगामी 15 कार्यदिवसों में अनुपालन सुनिश्चित कराये।
2. अधिशासी अभियन्ता, समस्त महाप्रबन्धक/अनुभागाध्यक्ष, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, उ0प्र0।
3. मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0एच0एम0, प्रयागराज मण्डल को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, प्रतापगढ़ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा0 वेद प्रकाश)

मण्डलीय नोडल-प्रयागराज

राज्य स्तरीय टीम

1. मनीष कुमार सोनी, कन्सल्टेंट, परिवार नियोजन।
2. सत्य प्रकाश, कार्यक्रम समन्वयक, आर0आई0।

जनपद स्तरीय टीम

3. आकाश दीप शुक्ला, जिला समन्वयक, अर्बन हेल्थ।

पर्यवेक्षण के दौरान आच्छादित की गई इकाईयाँ

1. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र – सुखपाल नगर।
2. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (एफ0आर0यू0) – गौरा।
3. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (एफ0आर0यू0) – कोहडौर।
4. हेल्थ वेलनेस सेन्टर – मोहनगंज।
5. उप स्वास्थ्य केन्द्र – मोहनगंज।

मिशन निदेशक, एन0एच0एम0 द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में उपरोक्त टीम द्वारा दिनांक 22-24 जनवरी 2020 के मध्य जनपद प्रतापगढ़ का भ्रमण कर एल-3, एल-2 व एल-1 स्तर की स्वास्थ्य इकाईयाँ, हेल्थ वेलनेस सेन्टर तथा उप स्वास्थ्य केन्द्र का अवलोकन किया गया।

उक्त भ्रमण के दौरान भ्रमण किये गये स्वास्थ्य इकाईयाँ पर निम्न कामन अवलोकन बिन्दु उद्घृत हुये:-

- भ्रमण किये गये स्वास्थ्य इकाईयाँ पर सक्सन मशीन कार्यरत नहीं था।
- हाई-रिस्क प्रेगनेंसी चिन्हित नहीं की जा रही थी।
- प्रसव कराने वाले स्टाफ एस0बी0ए0 में प्रशिक्षित नहीं थे।
- भ्रमण किये गये स्वास्थ्य इकाईयाँ के प्रसव कक्ष के टेबल व फुट स्टेप पर जंग लगा था।
- चिकित्सालय के डस्ट बिन में अलग-अलग रंग की पॉलीथिन (Colour Coded Bins) नहीं थी।
- भ्रमण किये गये स्वास्थ्य इकाईयाँ के डीप फ्रीजर में आइसपैक किसकास विधि से नहीं रखे गये थे।
- जे0एस0एस0के0 के अन्तर्गत लाभार्थियों को दिए जाने वाले भोजन का समुचित आई0ई0सी0 प्रदर्शित नहीं था।
- चिकित्सालय परिसर में जगह जगह Fire extinguisher लगा हुआ था परन्तु इमरजेन्सी की स्थिति में चिकित्सालय परिसर में तैनात अधिकतर कर्मियों को इसके प्रयोग की जानकारी नहीं थी।
- एक्स-रे की सुविधा उपलब्ध है, परन्तु टेक्नीशियन के पास टी0एल0डी0 बैच एवं लेड एप्रेन नहीं है।
- एफ0पी0एल0एम0आई0एस0 का प्रयोग नहीं किया जा रहा है।
- भ्रमण किये गये स्वास्थ्य इकाईयाँ पर कन्डोम बाक्स नहीं लगाया गया है।

इकाईवार विस्तृत भ्रमण रिपोर्ट निम्नानुसार है :-

➤ **प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र – सुखपाल नगर।**

अवलोकन बिन्दु	सुझाव/कृत सुधारात्मक कार्यवाही	जिम्मेदारी
मातृत्व स्वास्थ्य :-		
प्रसव कक्ष:- पी0पी0एच0के प्रबन्धन के बारे में स्टाफ नर्सों को जानकारी नहीं थी। प्रसव कक्ष में पी0पी0एच0 किट की व्यवस्था नहीं थी। प्रसव कक्ष में समुचित प्रोटोकॉल प्रदर्शित था। हाई-रिस्क प्रेगनेंसी चिन्हित नहीं की जा रही थी।	एम0एन0एच0 टूल का अध्ययन करने व एस0बी0ए0 प्रोटोकॉल पोस्टर्स आदि लगवाने का सुझाव दिया गया। लेबर रूम में पी0पी0एच0 किट की व्यवस्था करने का सुझाव दिया गया। लेबर रूम स्टाफ को हाई रिस्क प्रेगनेंसी के विषय में बताया गया और इसके रिपोर्टिंग से क्या लाभ है उसके विषय में बताया गया एवं हाईरिस्क प्रेगनेंसी चिन्हित एवं उनका अभिलेखीकरण करने हेतु कहा गया।	लेबर रूम स्टाफ व प्रभारी चिकित्साधिकारी
प्रसव कक्ष के टेबल, फुट स्टेप व 7 ट्रे पर जंग लगा था।	टेबल, फुट स्टेप व 7 ट्रे की रिपेयरिंग एवं पेंटिंग कराने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
प्रसव कक्ष के लिये उपयोग किये जा रहे आक्सीजन सिलिन्डर में आक्सीजन नहीं थी। जे0एस0एस0के0 के अन्तर्गत लाभार्थियों को भोजन दी जा रही थी। प्रसव कक्ष में डिजिटल घड़ी लगी थी।	भ्रमण दल द्वारा तत्काल प्रभाव से स्टोर से आक्सीजन सिलिन्डर निकलवाकर प्रसव कक्ष में लगवाया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
प्रसव कक्ष में सक्सन मशीन नहीं थी।	भ्रमण दल द्वारा सक्सन मशीन लगवाने के निर्देश दिये गये।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
केश शीट भरी जा रही है पार्टोग्राफ का प्रयोग किया जा रहा था। ब्लीचिंग पाउडर घोल का प्रयोग किया जा रहा है।	पार्टोग्राफ का प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।	लेबर रूम स्टाफ व प्रभारी चिकित्साधिकारी
प्रसव कराने वाले स्टाफ एस0बी0ए0 में प्रशिक्षित नहीं थे।	प्रसव एस0बी0ए0 प्रशिक्षित स्टाफ द्वारा कराया जाये।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
प्रसव कक्ष में विद्युत व्यवस्था बाधित थी, जगह-जगह वायरिंग टूटी हुई थी।	भ्रमण दल द्वारा बाधित विद्युत व्यवस्था को तत्काल ठीक कराने हेतु बी0पी0एम0 को निर्देशित किया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी व बी0पी0एम0

डेलीवरी रजिस्टर पूर्ण पाया गया एवं डाइट रजिस्टर अपूर्ण पाया गया डाइट आदित्य एजेन्सी द्वारा लाभार्थियों को बाहर से टिफिन व्यवस्था द्वारा प्रदान किया जा था। डाइट रजिस्टर में जो लाभार्थियों 48 घन्टें नहीं रुकें थे उनकी भी इन्ट्री 48 घन्टें में प्रदान किये जाने वाले डाइट में की गयी थी।	भ्रमण दल द्वारा डाइट रजिस्टर समुचित अद्यतन करने हेतु बी०पी०एम० को निर्देशित किया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी व बी०पी०एम०
प्रसव कक्ष में शौचालय अत्यन्त गंदी अवस्था में था एवं पानी की व्यवस्था भी बाधित थी।	भ्रमण दल द्वारा प्रतिदिन सफाई सुनिश्चित करने हेतु बी०पी०एम० को निर्देशित किया गया।	चिकित्सा अधीक्षक व बी०पी०एम०
आर०आई०/कोल्ड चेन रूम :-		
डीप फ्रीजर में आइसपैक किसकास विधि से नहीं रखे गये थे एवं आइसपैक कन्डीसनिंग के लिये टेबल नहीं था। समस्त आई०एल०आर० एवं डीप फ्रीजर लकड़ी के गुटके पर नहीं रखे गये थे एवं डीप फ्रीजर को डिफास्ट करने की आवश्यकता थी। एक स्टेबलाइजर अक्रियाशील था शार्प मैटेरियल को निस्तारित करने की विधि प्रक्रिया में नहीं थी ए०वी०डी० रूट प्लान नहीं चस्पा था। पिट मानकानुसार नहीं बनी थी। प्रसव पश्चात नवजात शिशुओं को हेपेटाइटिस-बी का बर्थ डोज प्रदान किया जा रहा है। वैक्सीन कैरियर में वैक्सीन बिना जिपर बैग के रखी हुई पायी गई	कोल्डचेन हैंडलरको आइसपैक कन्डीसनिंग एवं किसकास विधि के लिये निर्देशित किया गया। कोल्डचेन हैंडलर को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक आई०एल०आर० एवं डीप फ्रीजर लकड़ी के गुटके पर रखे जाय एवं डीप फ्रीजर को अति शीघ्र डिफास्ट किया जाय। प्रभारीचिकित्साधिकारी को स्टेबलाइजर की व्यवस्था के लिये सुझाव दिया गया। शार्प मैटेरियल को निस्तारित करने के लिये के लिये निर्देशित किया गया। ए०वी०डी० रूट प्लान बनाकर चस्पा करने हेतु निर्देशित किया गया स्टाफ नर्स को निर्देशित किया गया कि वैक्सीन सदैव जिपर बैग में रख कर ही वैक्सीन कैरियर में रखी जाय।	प्रभारी चिकित्साधिकारी, BAM एवं कोल्डचेन हैंडलर
बाल स्वास्थ्य :-		
विटामिन-Kउपलब्ध था। एन०बी०सी०सी० कार्नर में 01 रेडियेन्ट वार्मर लगी थी जो क्रियाशील थी।		प्रभारी चिकित्साधिकारी
परिवार नियोजन :-		
आई०यू०सी०डी०, पी०पी०आई०यू०सी०डी०-इन्सर्शन रजिस्टर उपलब्ध नहीं था।	प्रिन्टेड रजिस्टर उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।	जिला कार्यक्रम प्रबंधक व प्रभारी चिकित्साधिकारी
कन्डोम बाक्स नहीं लगा था।	भ्रमण दल द्वारा तत्काल प्रभाव से कन्डोम बाक्स उचित स्थान पर लगावाने हेतु निर्देशित किया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
पी०पी०आई०यू०सी०डी० की सेवा दी जा रही थी परन्तु स्टाफ नर्स को पी०पी०आई०यू०सी०डी० का भुगतान नहीं किया जा रहा है।	शीघ्र स्टाफ नर्स को पी०पी०आई०यू०सी०डी० का भुगतान सुनिश्चित की जाये।	प्रभारी चिकित्साधिकारी व BAM
एफ०पी०एल०एम०आई०एस०-		
एफ०पी०एल०एम०आई०एस० का प्रयोग किया जा रहा है।		
नसबन्दी सेवाओं हेतु फिक्स डे आउटरीच सर्विसेज का आयोजन नहीं किया जा रहा है।	भ्रमण दल द्वारा नोडल परिवार कल्याण से फिक्स डे आउटरीच सर्विसेज का आयोजन कराने हेतु वार्ता की गयी।	नोडल परिवार कल्याण
आई०ई०सी० :-		
परिसर में समस्त कार्यक्रमों की आई०ई०सी० उपलब्ध थी। किन्तु पर्याप्त नहीं थी।	विविन्न कार्यक्रमों की अपडेटेड आई०ई०सी० जनपद स्तर से प्राप्त कर यथास्थान डिस्प्ले कराये जाने का सुझाव दिया गया।	जिला कार्यक्रम प्रबंधक व प्रभारी चिकित्साधिकारी
पंजीकरण कक्ष के बाहर गर्भवती महिलाओं के निःशुल्क पंजीकरण का डिस्प्ले नहीं था।	गर्भवती महिलाओं के निःशुल्क पंजीकरण का डिस्प्ले करने व गर्भवती महिलाओं से पंजीकरण शुल्क न लिये जाने का सुझाव दिया गया।	
जे०एस०एस०के० के अन्तर्गत लाभार्थियों को दिए जाने वाले भोजन का साईन बोर्ड समुचित प्रदर्शित नहीं था।	जे०एस०एस०के० डाइट के अन्तर्गत लाभार्थियों को दिए जाने वाले भोजन की साईन बोर्ड समुचित प्रदर्शित कराने का सुझाव दिया गया।	
जे०एस०वाई० वार्ड में परिवार नियोजन का आई०ई०सी० प्रदर्शन नहीं था।	जे०एस०वाई० वार्ड में परिवार नियोजन का समुचित आई०ई०सी० प्रदर्शित कराने का सुझाव दिया गया।	
चिकित्सालय परिसर :-		
वार्ड में बेड साइड स्टैंड व टेबल पर जंग लगा था।	स्टैंड व टेबल की रिपेयरिंग एवं पेंटिंग कराने का सुझाव दिया गया।	
परिसर के अन्दर शिकायत पेटिका लगी थी, किन्तु शिकायत नहीं पायी गयी। शिकायत	शिकायत निवारण कमेटी का गठन व रिकार्ड मेण्टन करने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी

वारण कमेटी का गठन रिकार्ड भी देखने को हो मिला।		
हेल्पडेस्क की ब्यवस्था नहीं थी।	हेल्पडेस्क की ब्यवस्था करने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
परिसर में सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगे हैं। बायो मैट्रिक्स अटेन्डेन्स सिस्टम भी लगा है, परन्तु कार्यरत नहीं है।	बायो मैट्रिक्स अटेन्डेन्स सिस्टम तत्काल ठीक करायी जाये।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
परिसर में साफ-सफाई ब्यवस्था संतोषजनक पायी गयी।	नियमित रूप से परिसर की साफ-सफाई कराये जाने का सुझाव दिया गया।	
चिकित्सालय परिसर में जगह जगह Fire extinguisher लगा हुआ था परन्तु इमरजेन्सी की स्थिति में चिकित्सालय परिसर में तैनात किसी भी कर्मी को इसके प्रयोग की जानकारी नहीं थी।	भ्रमण दल द्वारा Fire extinguisher के प्रयोग हेतु Mock drill कराने हेतु निर्देश दिये गये।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
एक्स-रे व पैथोलॉजी :-		
एक्स-रे की सुविधा उपलब्ध है, परन्तु टेक्नीशियन के पास टी0एल0डी0 बैच एवं लेड एप्रेन नहीं है।	टी0एल0डी0 बैच एवं लेड एप्रेन उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
पैथोलाजी में कुल 12 प्रकार की जांच उपलब्ध है।		
बायोमेडिकल वेस्ट :-		
डस्ट बिन में अलग-अलग रंग की Colour Coded Bins पॉलीथिन नहीं थी। बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण का प्रयोग किया जा रहा है। किसी भी कार्मिक द्वारा व्यक्तिगत बचाव उपकरण धारण नहीं किया गया था। बायोमेडिकल वेस्ट की लाग बुक नियमानुसार भरे जा रहे थे।	Colour Coded Bins की उपलब्धता सुनिश्चित करने का सुझाव दिया गया। स्वास्थ्य केन्द्र को प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राधिकृत कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। सम्बंधित स्टाफ को बायोमेडिकल वेस्ट की लाग बुक नियमानुसार भरे जाने हेतु निर्देशित किया गया। बायो मेडिकल वेस्ट का प्रशिक्षण आवश्यक रूप से आयोजित कराने हेतु सुझाव दिया गया।	सम्बंधित स्टाफ एवं प्रभारी चिकित्साधिकारी
आर0के0एस0के0 कार्यक्रम :-		
किशोरी सुरक्षा योजना के अर्न्तगत निशुल्क सेनेटरी नैपकीन के वितरण का अनुश्रवण नहीं किया जा रहा है। प्राप्त फिडबैक के अनुसार सेनेटरी नैपकीन को ए0बी0एस0ए0 को प्राप्त करा दिया जाता है एवं उन्ही के द्वारा वितरण भी किया जाता है।	सेनेटरी नैपकीन के वितरण का अनुश्रवण सुनिश्चित की जाये।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
अन्य बिन्दु :-		
अन्धता कार्यक्रम अन्तर्गत इस वर्ष कुल 283 के सापेक्ष 150 चस्मों का वितरण किया जा चुका है।	चस्मों का वितरण शत प्रतिशत सुनिश्चित की जाये।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
एच0एम0आई0एस0 :-		
डाटा वैलिडेशन समिति बनी हैं। एच0एम0आई0एस0 पोर्टल पर अंकित की जा रही ऑकड़ों में कमिया पायी गयी।	एच0एम0आई0एस0 पोर्टल के सभी सूचकांको पर हैन्ड होल्डिंग की गयी	डाटा वैलिडेशन समिति के सदस्य
102 एम्बुलेन्स :-		
102 एम्बुलेन्स द्वारा दी जा रही सेवाओं का सत्यापन चिकित्साईकाई द्वारा नहीं की जा रही है। अर्थात् एम्बुलेन्स द्वारा दी गयी Drop OUT एवं Drop in के लाभार्थियों का सत्यापन चिकित्साईकाईयों के सक्षम अधिकारियों से सत्यापित नहीं कराया जा रहा है।	एम्बुलेन्स की मासिक रिपोर्ट (Drop OUT एवं Drop in के) लाभार्थियों का सत्यापन चिकित्साईकाई के सक्षम अधिकारियों से सत्यापित कराने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी व बी0पी0एम0
वित्तीय बिन्दु :-		
जे0एस0वाई0 के तहत कुल 50 बैक लाग है।	JSY लम्बित भुगतानों की कारण सहित सूची तैयार किया जाये तथा भुगतान हेतु फॉलोअप किया जायें।	प्रभारी चिकित्साधिकारी व BAM
नसबन्दी में कुल 22 केस के भुगतान लम्बित थे।	लम्बित भुगतानों की कारण सहित सूची तैयार किया जाये तथा भुगतान हेतु फॉलोअप किया जायें।	
वर्तमान वित्तीय वर्ष में माह दिसम्बर 2019 तक कुल अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष 70 प्रतिशत व्यय की गयी है।		
भ्रमण के उपरान्त पी0एच0सी0 की टीम के साथ के साथ बैठक की गयी एवं आगामी माह की कार्ययोजना एवं कार्यक्रमों पर चर्चा की गयी।		

संलग्न- चेकलिस्ट।

➤ संलग्न- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-गौरा।

अवलोकन बिन्दु	सुझाव/कृत सुधारात्मक कार्यवाही	जिम्मेदारी
मातृत्व स्वास्थ्य:-		
प्रसव कक्ष के टेबल व फुट स्टेप पर जंग लगा था।	टेबल व फुट स्टेप की रिपेयरिंग एवं पेंटिंग कराने का सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक
प्रसव कक्ष में 7 ट्रे उपलब्ध थी। पीपीपीएचके प्रबन्धन के बारे में स्टाफ नर्सों को जानकारी नहीं थी। प्रसव कक्ष में पीपीपीएचके किट की व्यवस्था नहीं थी। प्रसव कक्ष में समुचित प्रोटोकॉल प्रदर्शित था। हाई-रिस्क प्रेगनेंसी चिन्हित नहीं की जा रही थी।	टेबल की रिपेयरिंग एवं पेंटिंग कराने का सुझाव दिया गया। एमओएनओएचओ टूल का अध्ययन करने व एसबीओएओ प्रोटोकॉल पोस्टर आदि लगवाने का सुझाव दिया गया। लेबर रूम में पीपीपीएचके किट की व्यवस्था करने का सुझाव दिया गया। लेबर रूम स्टाफ को हाई रिस्क प्रेगनेंसी के विषय में बताया गया और इसके रिपोर्टिंग से क्या लाभ है उसके विषय में बताया गया एवं हाईरिस्क प्रेगनेंसी चिन्हित एवं उनका अभिलेखीकरण करने हेतु कहा गया।	लेबर रूम स्टाफ एवं चिकित्सा अधीक्षक
प्रसव कक्ष में एल्बो टैप नहीं है।	एल्बो टैप सुनिश्चित की जाये।	लेबर रूम स्टाफ व चिकित्सा अधीक्षक
जेओएसओएसकेओ के अन्तर्गत लाभार्थियों को दिए जाने वाले भोजन का साइन बोर्ड समुचित प्रदर्शित नहीं था।	जेओएसओएसकेओ डाइट के अन्तर्गत लाभार्थियों को दिए जाने वाले भोजन की साइन बोर्ड समुचित प्रदर्शित कराने का सुझाव दिया गया।	
केसशीट पूरी नहीं भरी जा रही थी। पार्टोग्राफ का प्रयोग किया जा रहा था। ब्लीचिंग पाउडर घोल का प्रयोग किया जा रहा है।	तत्काल केसशीट के सभी कॉलमों को समझा कर उनको पूर्ण रूप से भरने हेतु कहा गया ताकि भविष्य में यदि मरीज को कुछ समस्या होती है तो उसे बी. एच.टी. द्वारा सहायता दी जा सकती है।	
आरओआईओ/कोल्ड चेन रूम :-		
डीप फ्रीजर में आइसपैक किसकास विधि से नहीं रखे गये थे एवं आइसपैक कन्डीसनिंग के लिये टेबल नहीं था। एओवीओडीओ रूट प्लान नहीं चस्पा था। शार्प मैटेरियल को निस्तारित करने की विधि प्रक्रिया में नहीं है। पिट मानकानुसार नहीं बनी थी।	कोल्डचेन हैंडलरको आइसपैक कन्डीसनिंग के लिये टेबल की व्यवस्था हेतु एवं किसकास विधि के लिये निर्देशित किया गया। थी शार्प मैटेरियल को निस्तारित करने के लिये के लिये निर्देशित किया गया। कोल्ड चेन हैंडलर को एओवीओडीओ रूट प्लान बनाने हेतु निर्देशित किया गया।	चिकित्सा अधीक्षक व कोल्ड चेन हैंडलर
बाल स्वास्थ्य :-		
प्रसव कक्ष में उपलब्ध रेडियन्ट वर्मर कियाशील था। एचओबीओएनओसीओ कार्यक्रम के अन्तर्गत लो-वर्थ बेबी का फालोअप किया जा रहा है।		चिकित्सा अधीक्षक
परिवार नियोजन :-		
प्रिन्टेड छाया रजिस्टर उपलब्ध नहीं था।	छाया रजिस्टर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।	चिकित्सा अधीक्षक व जिला कार्यक्रम प्रबंधक
चिकित्सा ईकाई पर कन्डोम बाक्स था परन्तु समुचित नहीं था। पीपीपीआईओयूसीओडीओ की सेवा दी जा रही थी।	भ्रमण दल द्वारा तत्काल प्रभाव से कन्डोम बाक्स उचित स्थान पर लगावाने हेतु निर्देशित किया गया। कण्डोम बाक्स प्रतिदिन भरने का सुझाव भी दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक
एफओपीओएलओएमओआईओएसओ- एफओपीओएलओएमओआईओएसओ का प्रयोग नहीं किया जा रहा।	भ्रमण दल द्वारा तत्काल प्रभाव से बीपीपीएमओ को एफओपीओएलओएमओआईओएसओ पोर्टल के प्रयोग के साथ इन्डेंट की जानकारी दी गयी।	चिकित्सा अधीक्षक/BPM एवं सम्बंधित स्टाफ
आईओईसीओ :-		
परिसर में समस्त कार्यक्रमों की आईओईसीओ उपलब्ध थी। किन्तु पर्याप्त नहीं थी।	विभिन्न कार्यक्रमों की अपडेटेड आईओईसीओ जनपद स्तर से प्राप्त कर यथार्थान डिस्ट्रे करायें जाने का सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक
पंजीकरण कक्ष के बाहर गर्भवती महिलाओं के निःशुल्क पंजीकरण का डिस्ट्रे नहीं था।	गर्भवती महिलाओं के निःशुल्क पंजीकरण का डिस्ट्रे करने व गर्भवती महिलाओं से पंजीकरण शुल्क न लिये जाने का सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक
जेओएसओआईओ वार्ड में परिवार नियोजन का आईओईसीओ प्रदर्शन नहीं था।	जेओएसओआईओ वार्ड में परिवार नियोजन का समुचित आईओईसीओ प्रदर्शित कराने का सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक

जनरल वार्ड में आई0ई0सी0 उपलब्ध थी। किन्तु प्राप्त नहीं थी।	समुचित आई0ई0सी0 प्रदर्शित कराने का सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक
बायोमेडिकल वेस्ट :-		
चिकित्सालय में Bins उपलब्ध थीं। डस्ट बिन में अलग-अलग रंग की पॉलीथिन थी। बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण का समुचित प्रयोग किया जा रहा है। किसी भी कार्मिक द्वारा व्यक्तिगत बचाव उपकरण धारण नहीं किया गया था। बायोमेडिकल वेस्ट की लाग बुक नियमानुसार भरे जा रहे थे। स्ब्लीचिंग पाउडर घोल का प्रयोग नहीं किया जा रहा है।	Colour Coded Bins की उपलब्धता सुनिश्चित करने का सुझाव दिया गया। को बायोमेडिकल वेस्ट की लाग बुक नियमानुसार भरे जाने हेतु निर्देशित किया गया। ब्लीचिंग पाउडर घोल का प्रयोग नियमित करने का सुझाव दिया गया।	सम्बन्धित स्टाफ एवं चिकित्सा अधीक्षक
चिकित्सालय परिसर :-		
जनरल वार्ड में बेड साइड ड्रिप स्टैंड व टैबल पर जंग लगा है।	बेड साइड ड्रिप स्टैंड व टैबल की रिपेयरिंग एवं पेंटिंग कराने का सुझाव दिया गया।	बी0पी0एम0 व चिकित्सा अधीक्षक
इमरजेन्सी में रखा ऑक्सीजन सिलिन्डर में ऑक्सीजन नहीं थी। सक्शन मशीन भी कार्यरत नहीं थी।	ऑक्सीजन सिलिन्डर में ऑक्सीजन व सक्शन मशीन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।	बी0पी0एम0 व चिकित्सा अधीक्षक
जे0एस0वाई0 वार्ड में समुचित लाईट की व्यवस्था नहीं थी। जे0एस0वाई0 वार्ड में Vantilation भी समुचित नहीं है।	वार्ड में समुचित लाईट की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये व Vantilation हेतु एक खिड़की का निर्माण कराने हेतु सुझाव दिया गया।	बी0पी0एम0 व चिकित्सा अधीक्षक
परिसर के अन्दर शिकायत पेटिका लगी थी, किन्तु शिकायतें नहीं पायी गयीं। शिकायत निवारण कमेटी का गठन रिकार्ड भी देखने को नहीं मिला।	शिकायत निवारण कमेटी का गठन व रिकार्ड मेण्टेन करने का सुझाव दिया गया।	बी0पी0एम0 व चिकित्सा अधीक्षक
हेल्पडेस्क की व्यवस्था नहीं थी।	हेल्पडेस्क की व्यवस्था करने का सुझाव दिया गया।	बी0पी0एम0 व चिकित्सा अधीक्षक
ओ0पी0डी0 कक्ष में कार्यरत चिकित्सक के पास वजन मशीन एवं बी0पी0 मशीन उपलब्ध था।	स्टेथो, वजन मशीन एवं बी0पी0 मशीन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।	
परिसर में साफ-सफाई व्यवस्था संतोषजनक पायी गयी।	नियमित रूप से परिसर की साफ-सफाई कराये जाने का सुझाव दिया गया।	
चिकित्सालय परिसर में जगह जगह Fire extinguisher लगा हुआ था परन्तु इमरजेन्सी की स्थिति में चिकित्सालय परिसर में तैनात किसी भी कर्मी को इसके प्रयोग की जानकारी नहीं थी।	भ्रमण दल द्वारा Fire extinguisher के प्रयोग हेतु Mock drill कराने हेतु निर्देश दिये गये।	बी0पी0एम0 व चिकित्सा अधीक्षक
एक्स-रे व पैथोलॉजी :-		
एक्स-रे की सुविधा उपलब्ध है, परन्तु टेक्नीशियन के पास टी0एल0डी0 बैच एवं लेड एप्रेन नहीं है।	टी0एल0डी0 बैच एवं लेड एप्रेन उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।	चिकित्सा अधीक्षक
पैथोलॉजी में कुल 18 प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध है बायोमेडिकल वेस्ट का समुचित निस्तारण नहीं किया जा रहा है।	बायोमेडिकल वेस्ट का समुचित निस्तारण सुनिश्चित की जाये।	
आर0के0एस0के0 कार्यक्रम :-		
किशोरी सुरक्षा योजना के अर्न्तगत निशुल्क सेनेटरी नैपकीन के वितरण का अनुश्रवण नहीं किया जा रहा है। प्राप्त फिडबैक के अनुसार सेनेटरी नैपकीन को ए0बी0एस0ए0 को प्राप्त करा दिया जाता है एवं उन्ही के द्वारा वितरण भी किया जाता है।	सेनेटरी नैपकीन के वितरण का अनुश्रवण सुनिश्चित की जाये।	चिकित्सा अधीक्षक
एच0एम0आई0एस0 :-		
एच0एम0आई0एस0 पोर्टल पर अकिंत की जा रही ऑकड़ों में कमिया पायी गयी।	एच0एम0आई0एस0 पोर्टल के सभी सुचकांको पर हैंड होल्डिंग की गयी एवं भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न करने के निर्देश दिये गये साथ ही साथ इनको सुधारने के निर्देश भी दिये गये।	डाटा वैलिडेशन समिति के सदस्य
102 एम्बुलेन्स :-		
102 एम्बुलेन्स द्वारा दी जा रही सेवाओं का सत्यापन चिकित्साईकाई द्वारा नहीं की जा रही है। अर्थात् एम्बुलेन्स द्वारा दी गयी Drop OUT एवं Drop in के लाभार्थियों का सत्यापन चिकित्साईकाई के सक्षम अधिकारियों से सत्यापित नहीं कराया जा रहा है।	एम्बुलेन्स की मासिक रिपोर्ट (Drop OUT एवं Drop in के) लाभार्थियों का सत्यापन चिकित्साईकाई के सक्षम अधिकारियों से सत्यापित कराने का सुझाव दिया गया।	बी0पी0एम0 / चिकित्सा अधीक्षक
अन्य बिन्दु :-		
ओ0टी0 के फुट स्टेप पर जंग लगा था।	फुट स्टेप की रिपेयरिंग एवं पेंटिंग कराने का सुझाव दिया गया।	बी0पी0एम0 व चिकित्सा अधीक्षक

आयुष के अन्तर्गत युनानी विधा के चिकित्सक उपलब्ध है परन्तु युनानी विधा की औषधि पर्याप्त उपलब्ध नहीं है ।	युनानी विधा की औषधि की आपूर्ति सुनिश्चित की जाये।	चिकित्सा अधीक्षक
अन्धता कार्यक्रम अन्तर्गत इस वर्ष कुल 300 के सापेक्ष 70 चस्मों का वितरण किया जा चुका है।	चस्मों का वितरण शत प्रतिशत सुनिश्चित की जाये।	चिकित्सा अधीक्षक
वित्तीय बिन्दु:-		
जे0एस0वाई0 के तहत कुल 30 बैक लागू है।	JSY लम्बित भुगतानों की कारण सहित सूची तैयार किया जाये तथा भुगतान हेतु फॉलोअप किया जायें।	चिकित्सा अधीक्षक व BAM
नसबन्दी में कुल 22 केस के भुगतान लम्बित थे।	लम्बित भुगतानों की कारण सहित सूची तैयार किया जाये तथा भुगतान हेतु फॉलोअप किया जायें।	
वर्तमान वित्तीय वर्ष में माह दिसम्बर 2019 तक कुल अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष 68 प्रतिशत व्यय की गयी है।	शेष धनराशि का व्यय कराना सुनिश्चित किया जाये।	
नोट- भ्रमण के उपरान्त सी0एच0सी0 की टीम के साथ जिसमें मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, चीफ फार्मासिस्ट, बी0सी0पी0एम0, बी0पी0एम0 एवं बी0ए0एम0 के साथ बैठक की गयी एवं आगामी तीन माह की कार्ययोजना एवं कार्यक्रमों पर चर्चा की गयी।		

संलग्न- चेकलिस्ट।

➤ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-कोहडौर

अवलोकन बिन्दु	सुझाव/कृत सुधारार्थक कार्यवाही	जिम्मेदारी
मातृत्व स्वास्थ्य:-		
प्रसव कक्ष में 7 ट्रे उपलब्ध थी। पी0पी0एच0के प्रबन्धन के बारे में स्टाफ नर्सों को जानकारी नहीं थी। रजिस्टर के अन्त में संक्षिप्त जानकारी प्रपत्र के बारे में उपस्थित स्टाफ नर्सों को भी उचित जानकारी नहीं थी। प्रसव कक्ष में समुचित प्रोटोकॉल प्रदर्शित था। हाई-रिस्क प्रेगनेंसी चिन्हित नहीं की जा रही थी।	एम0एन0एच0 टूल का अध्ययन करने का सुझाव दिया गया। प्रत्येक माह के अन्त में माह की रिपोर्ट का अंकन करने हेतु निर्देशित किया गया साथ ही जानकारीयों प्रदान की गई। लेबर रूम स्टाफ को हाई रिस्क प्रेगनेंसी के विषय में बताया गया और इसके रिपोर्टिंग से क्या लाभ है उसके विषय में बताया गया एवं हाईरिस्क प्रेगनेंसी चिन्हित एवं उनका अभिलेखीकरण करने हेतु कहा गया।	लेबर रूम स्टाफ एवं चिकित्सा अधीक्षक
केसशीट पूरी भरी जा रही थी।	केसशीट के सभी कॉलमों को समझा कर उनको पूर्ण रूप से भरने हेतु कहा गया ताकि भविष्य में यदि मरीज को कुछ समस्या होती है तो उसे बी.एच.टी. द्वारा सहायता दी जा सकती है।	लेबर रूम स्टाफ व चिकित्सा अधीक्षक
जे0एस0एस0के0 के अन्तर्गत लाभार्थियों को दिए जाने वाले भोजन का साईन बोर्ड समुचित प्रदर्शित नहीं था।	जे0एस0एस0के0 डाईट के अन्तर्गत लाभार्थियों को दिए जाने वाले भोजन की साईन बोर्ड समुचित प्रदर्शित कराने का सुझाव दिया गया।	
पार्टोग्राफ का प्रयोग किया जा रहा था।		
आर0आई0/कोल्ड चैन रूम :-		
कोल्ड चैन रूम में 3 आईएलआर में 1 कियाशील था एवं 2 अक्रियाशील थे, जिसका तापमान माइनस में चला जाता है। 3 स्टेबलाइजर अक्रियाशील थे। कोल्ड चैन हैंडलर के लिये प्रोत्साहन राशि 6 माह से नहीं प्रदान की गयी थी। आइसपैक कन्डीसनिंग के लिये टेबल नहीं था। शार्प मैटेरियल को निस्तारित करने की विधि प्रक्रिया में नहीं थी।	चिकित्साधिकारी से वार्ता की गयी एवं आईएलआर स्टेबलाइजर कियाशील करवाने का सुझाव दिया गया। चिकित्साधिकारी से कोल्ड चैन हैंडलर को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु वार्ता की गयी। कोल्डचैन हैंडलरको आइसपैक कन्डीसनिंग हेतु टेबल की व्यवस्था हेतु निर्देशित किया गया। शार्प मैटेरियल को निस्तारित करने के लिये के लिये निर्देशित किया गया।	चिकित्सा अधीक्षक व कोल्ड चैन हैंडलर
बाल स्वास्थ्य :-		
प्रसव कक्ष में उपलब्ध रेडियन्ट वार्मर कियाशील था। सक्शन मशीन नहीं है। विटामिन-Kउपलब्ध था। एच0बी0एन0सी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत लो-वर्थ बेबी का फालोअप किया जा रहा है।	सक्शन मशीन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये। लो-वर्थ बेबी का फालोअप सुनिश्चित की जाये।	चिकित्सा अधीक्षक
परिवार नियोजन :-		
अन्तरा व छाया रजिस्टर उपलब्ध नहीं था।	अन्तरा व छाया रजिस्टर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।	जिला कार्यक्रम प्रबंधक व चिकित्सा अधीक्षक

पी0पी0आई0यू0सी0डी0 की सेवा दी जा रही थी।	उचित स्थान पर लगवाने हेतु निर्देशित किया गया।	चिकित्सा अधीक्षक
एफ0पी0एल0एम0आई0एस0- एफ0पी0एल0एम0आई0एस0 का प्रयोग नहीं किया जा रहा।	भ्रमण दल द्वारा तत्काल प्रभाव से बी0पी0एम0 को एफ0पी0एल0एम0आई0एस0 पोर्टल के प्रयोग के साथ इन्डेंट की जानकारी दी गयी।	चिकित्सा अधीक्षक, BPM, एवं नोडल परिवार क्लयान
आई0ई0सी0 :-		
परिसर में समस्त कार्यक्रमों की आई0ई0सी0 उपलब्ध थी। किन्तु पर्याप्त नहीं थी।	विभिन्न कार्यक्रमों की अपडेटेड आई0ई0सी0 जनपद स्तर से प्राप्त कर यथास्थान डिस्प्ले कराये जाने का सुझाव दिया गया।	जिला कार्यक्रम प्रबंधक व चिकित्सा अधीक्षक
पंजीकरण कक्ष के बाहर गर्भवती महिलाओं के निःशुल्क पंजीकरण का डिस्प्ले नहीं था।	गर्भवती महिलाओं के निःशुल्क पंजीकरण का डिस्प्ले करने व गर्भवती महिलाओं से पंजीकरण शुल्क न लिये जाने का सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक
बायोमेडिकल वेस्ट :-		
चिकित्सालय में Bins उपलब्ध थीं। डस्ट बिन में अलग-अलग रंग की पॉलीथिन थी। बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण का समुचित प्रयोग किया जा रहा है। किसी भी कार्मिक द्वारा व्यक्तिगत बचाव उपकरण धारण नहीं किया गया था। बायोमेडिकल वेस्ट की लाग बुक नियमानुसार भरे जा रहे थे। ब्लीचिंग पाउडर घोल का प्रयोग किया जा रहा है।	Colour Coded Bins की उपलब्धता सुनिश्चित करने का सुझाव दिया गया। सम्बंधित स्टाफ को बायोमेडिकल वेस्ट की लाग बुक नियमानुसार भरे जाने हेतु निर्देशित किया गया। ब्लीचिंग पाउडर घोल का प्रयोग नियमित करने का सुझाव दिया गया।	सम्बंधित स्टाफ एवं चिकित्सा अधीक्षक
चिकित्सालय परिसर :-		
परिसर के अन्दर शिकायत पेटिका लगी थी, किन्तु शिकायत नहीं पायी गयी। शिकायत निवारण कमेटी का गठन रिकार्ड भी देखने को नहीं मिला।	शिकायत निवारण कमेटी का गठन व रिकार्ड मेण्टन करने का सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक व बी0पी0एम0
हेल्पडेस्क की व्यवस्था नहीं थी।	हेल्पडेस्क की व्यवस्था करने का सुझाव दिया गया।	
ओ0पी0डी0 कक्ष में कार्यरत चिकित्सक के पास वजन मशीन एवं बी0पी0 मशीन उपलब्ध था।	स्टेथो, वजन मशीन एवं बी0पी0 मशीन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।	
परिसर में साफ-सफाई व्यवस्था संतोषजनक पायी गयी।	नियमित रूप से परिसर की साफ-सफाई कराये जाने का सुझाव दिया गया।	
चिकित्सालय परिसर में जगह जगह Fire extinguisher लगा हुआ था परन्तु इमरजेन्सी की स्थिति में चिकित्सालय परिसर में तैनात किसी भी कर्मी को इसके प्रयोग की जानकारी नहीं थी।	भ्रमण दल द्वारा Fire extinguisher के प्रयोग हेतु Mock drill कराने हेतु निर्देश दिये गये।	
चिकित्सालय परिसर में कन्डम करने योग्य वस्तुएं जगह-जगह बिखरी हुई पायी गयी।	भ्रमण दल द्वारा कन्डम सामानों को एक ही निर्धारित स्थान पर रखने हेतु सुझाव दिया गया।	
एक्स-रे व पैथोलॉजी :-		
एक्स-रे की सुविधा उपलब्ध है, परन्तु टेक्नीशियन के पास टी0एल0डी0 बैच एवं लेड एप्रेन नहीं है।	टी0एल0डी0 बैच एवं लेड एप्रेन उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।	चिकित्सा अधीक्षक
पैथोलॉजी में कुल 12 प्रकार की जांच उपलब्ध है।		
आर0के0एस0के0 कार्यक्रम :-		
किशोरी सुरक्षा योजना के अर्न्तगत निशुल्क सेनेटरी नैपकीन के वितरण का अनुश्रवण नहीं किया जा रहा है। प्राप्त फिडबैक के अनुसार सेनेटरी नैपकीन को ए0बी0एस0ए0 को प्राप्त करा दिया जाता है एवं उन्ही के द्वारा वितरण भी किया जाता है।	सेनेटरी नैपकीन के वितरण का अनुश्रवण सुनिश्चित की जाये।	चिकित्सा अधीक्षक
एच0एम0आई0एस0 :-		
एच0एम0आई0एस0 पोर्टल पर अकित की जा रही ऑकड़ों में कमिया पायी गयी।	डाटा वैलिडेशन समिति के सदस्यों के साथ बैठक की गयी व एच0एम0आई0एस0 पोर्टल के सभी सुचकांको पर हैंड होल्डिंग की गयी एवं भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न करने के निर्देश दिये गये साथ ही साथ इनको सुधारने के निर्देश भी दिये गये।	डाटा वैलिडेशन समिति के सदस्य
102 एम्बुलेन्स :-		
102 एम्बुलेन्स द्वारा दी जा रही सेवाओं का सत्यापन चिकित्साईकाई द्वारा नहीं की जा रही है। अथार्त एम्बुलेन्स द्वारा दी गयी Drop OUT एवं Drop in के लाभार्थियों का सत्यापन चिकित्साईकाईयों के सक्षम अधिकारियों से सत्यापित नहीं कराया जा रहा है।	एम्बुलेन्स की मासिक रिपोर्ट (Drop OUT एवं Drop in के) लाभार्थियों का सत्यापन चिकित्साईकाई के सक्षम अधिकारियों से सत्यापित कराने का सुझाव दिया गया।	बी0पी0एम0 व चिकित्सा अधीक्षक
अन्य बिन्दु :-		

अन्धता कार्यक्रम अन्तर्गत इस वर्ष कुल 160 के सापेक्ष 95 चस्मों का वितरण किया जा चुका है।	चस्मों का वितरण शत प्रतिशत सुनिश्चित किया जाये।	चिकित्सा अधीक्षक
आयुष के अन्तर्गत आयुर्वेद के चिकित्सक उपलब्ध है परन्तु आयुर्वेद की औषधि विगत 6 माह से उपलब्ध नहीं है।	आयुर्वेदिक औषधि की आपूर्ति सुनिश्चित की जाये।	
नोट— भ्रमण के उपरान्त सी0एच0सी0 की टीम के साथ जिसमें मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, चीफ फार्मासिस्ट, बी0सी0पी0एम0, बी0पी0एम0 एवं बी0ए0एम0 के साथ बैठक की गयी एवं आगामी तीन माह की कार्ययोजना एवं कार्यक्रमों पर चर्चा की गयी।		

संलग्न— चेकलिस्ट।

➤ मोहनगंज—हेल्थ वेलनेस सेन्टर :-

- इस केन्द्र पर सी0एच0ओ0 द्वारा कार्य लिया जा रहा है।
- प्रतिदिन औसतन 15-20 ओ0पी0डी0 है।
- इस केन्द्र पर अभी तक समुचित जांच की सेवा प्रारम्भ नहीं हो सका है। वर्तमान में कुल 05 प्रकार की जांच की सुविधा उपलब्ध है हीमोग्लोबिनोमीटर उपलब्ध नहीं है।
- परिवार नियोजन के अन्तर्गत कन्डोम, ओ0सी0पी0, ई0सी0पी0 की सेवा उपलब्ध है।
- बायोमेडिकल वेस्ट का समुचित निस्तारण नहीं किया जा रहा है।
- केन्द्र पर कार्यरत सी0एच0ओ0 द्वारा अवगत कराया गया कि प्रायः औषधियों की कमी रहती है।
- प्रथम दृष्टिगत ऐसा प्रतीत होता है कि सिर्फ नाम का हेल्थवेलनेस सेन्टर चल रहा है।

➤ उपकेन्द्र—मोहनगंज :-

- इस सेन्टर पर पर 01 ए0एन0एम0 कार्यरत है।
- इस उपकेन्द्र पर प्रसव की सुविधा उपलब्ध है, परन्तु एल0वन0 मानकानुसार प्रसव कक्ष नहीं है।
- बायोमेडिकल वेस्ट का समुचित निस्तारण नहीं किया जा रहा है।
- परिवार नियोजन के अन्तर्गत कन्डोम, ओ0सी0पी0, ई0सी0पी0 की सेवा उपलब्ध है।
- प्रति माह औसतन 15 प्रसव लोड है।
- उपकेन्द्र पर बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण के लिये निस्तारण पिट नहीं बनी है।
- बायोमेडिकल वेस्ट का समुचित निस्तारण नहीं किया जा रहा है।
- सभी रजिस्टर मैन्युअल है।

संलग्न— चेकलिस्ट।

भ्रमण के उपरान्त जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, जिला लेखा प्रबन्धक, डी0सी0पी0एम0 एवं जिला समन्वयक, अर्बन हेल्थ के साथ बैठक किया गया व भ्रमण में पायी गयी बिन्दुवार कमियों एवं भ्रमण दल द्वारा मौके पर दी गयी सहयोग से अवगत कराया गया। भ्रमण दल द्वारा विगत भ्रमण रिपोर्ट के ए0टी0आर0 के न प्राप्त होने से अवगत कराया गया जिस पर मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा आश्वासन दिया गया कि शीघ्र ही ए0टी0आर0 उपलब्ध करा दी जायेगी।


सत्य प्रकाश
(कार्यक्रम समन्वयक, आर0आई0)


मनीष कुमार सोनी
(कन्सल्टेंट, परिवार नियोजन)

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी,
जनपद-प्रतापगढ़।

पत्रांक:-एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./सहयोगात्मक पर्यवेक्षण/प्रतापगढ़/2019-20/ दिनांक: 06.02.2020
विषय:- राज्य स्तरीय दल द्वारा 22-24 जनवरी 2020 तक किये गये पर्यवेक्षण की आख्या पर कार्यवाही
किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया एस0पी0एम0यू0 कार्यालय पत्र सं0 SPMU/NHM/M&E/2019-20/18/3883-2, दिनांक 30-07-2019 का का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके क्रम में, राज्य स्तरीय दल द्वारा दिनांक 22-24 जनवरी 2020 के मध्य जनपद प्रतापगढ़ की चिकित्सा इकाईयों का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया गया। राज्य स्तरीय दल द्वारा जनपद की चिकित्सा इकाईयों का स्थलीय पर्यवेक्षण के दौरान प्रकाश में आये बिन्दुओं के आधार भ्रमण आख्या प्रस्तुत की गयी है जो कि पत्र के साथ संलग्न कर सुधारात्मक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

आपसे अनुरोध है कि सम्बन्धित बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-पर्यवेक्षण आख्या

भवदीया

(जसजीत कौर)

अपर मिशन निदेशक

पत्रांक:-एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./सहयोगात्मकपर्यवेक्षण/प्रतापगढ़/2019-20/ दिनांक 9/97-4
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित-

1. मण्डलीय अपर निदेशक, चि0स्वा0 एवं प0क0, प्रयागराज मण्डल को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे भ्रमण के दौरान पायी गयी कमियों का निराकरण करा कर चिकित्सा स्वास्थ्य इकाईयों के भ्रमण आख्यानुसार आगामी 15 कार्यदिवसों में अनुपालन सुनिश्चित कराये।
2. अधिशासी अभियन्ता, समस्त महाप्रबन्धक/अनुभागाध्यक्ष, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, उ0प्र0।
3. मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0एच0एम0, प्रयागराज मण्डल को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, प्रतापगढ़ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा0 वेद प्रकाश)

मण्डलीय नोडल-प्रयागराज